



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-29082024-256735  
CG-OR-E-29082024-256735

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3330]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946

No. 3330]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

रेलवे मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 28 अगस्त, 2024

का.आ. 3647(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 7 के खंड-2ए- द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उड़ीसा राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारियों के, स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में इस तरह कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

तालिका

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी का नाम	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	पुरी जिला के भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला-पुरी, राज्य-ओडिशा	पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन के अंतर्गत पुरी और कोणार्क के बीच नई लाइन (32.02 कि.मी.) जिला-पुरी, राज्य - ओडिशा

[फा. सं. पूतरे/नि./भुवनेश्वर/एलए/ पुरी -कोणार्क नई लाइन -32.02 कि.मी.]

सुधीर कुमार परिदा, मुख्य अभियन्ता (निर्माण-III)

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[East Coast Railway (Construction)]**  
**NOTIFICATION**

Bhubaneswar, the 28th August, 2024

**S.O. 3647(E).**—In exercise of the powers, conferred by Clause 7(A) of Section-2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the Table below as the Competent Authority to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the Table below in the state of Odisha with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**TABLE**

Sl. No.	Competent Authority	Area of the Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1	Land Acquisition Officer of the district Puri, District-Puri, State - Odisha	New line between Puri and Konark (32.02 Km) under Khurda Road Division in East Coast Railway, District-Puri, State:- Odisha

[F. No. ECoR/Con/BBS/New Line Puri-Konark-32.02km]

SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Cons.-III)